निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–28 / 2021
दायरा दिनांक :–25.02.2021
निर्णय दिनांक :– 30.12.2022

उनवान

मन्जूबाई पुत्री स्व0 जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी माथनी तहसील बारां हाल ग्राम छजावा तहसील बारां जिला बारां राज0

–प्रार्थीया / वादीया

बनाम

1. कांतिबाई पुत्री जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
2. चौथमलपुत्र जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
3. प्रभूलालपुत्र जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
4. मांगीलालपुत्र जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) –प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं90 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 30.12.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बालमुकुन्द गुर्जर एड0– वादी
2. श्री गजेन्द्र कुमार नागर एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 90 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया / वादीया के शामलाती खाते कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी खसरा नं0 708 रकबा 0.02 हे0 खेडा, खसरा नं0 709 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 712 रकबा 0.16 हे0, खसरा नं0 713 रकबा 0.10 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.37 हे0 वाके माल माथनी पटवार हल्का माथना तहसील व जिला बारां में अवस्थित है। जिसमेंप्रार्थीया / वादीया का 1/5 हिस्सा निहित है। जिस पर प्रार्थीया / वादीया काबिज कास्त चली आ रही है। लेकिन सहवन से खाता सं0 नया 140 पुराना 96 में काश्तकार का नाम कम 3 पर खातेदार के नाम में नवलबाई पुत्री जगन्नाथ गलत दर्ज हो गया है। जबकि मन्जुबाई पुत्री जगन्नाथ होना चाहिए था। खातेदार का नाम नवलबाई गलत है। खातेदार वास्तविक नाम मन्जूबाई है। परिचय पत्र आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड इत्यादी दस्तावेजों में भी नाम मन्जूबाई है। जो वर्तमान में सभी दस्तावेजों में कायम है। उक्त गलती सहवन से खाते में कायम चली आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

प्रार्थीया/वादीया जमाबंदी में गलत नाम के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ से भी वंचित होती रहीं है। जो वर्तमान में भी बदस्तूर चला आ रहा है। वादी द्वारा त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु कई मर्तबा राजस्व कर्मचारियों का मौखिक व लिखित निवेदन किया लेकिन आज तक वादी की त्रुटि खाते में सही नहीं की गई है। वादी के खाते में नवलबाई के स्थान पर मन्जूबाई नाम का अंकन कर पूर्व त्रुटि को दुरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीया/वादीया के खाते की त्रुटी को सही करवाने के लिए गत राजस्व कैम्प माथना में भी आवेदन पेश किया गया था। लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा कहा गया कि आप न्यायालय में आकर वाद पेश कर देना। वाद में बयानों व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर खाते की त्रुटि नवलबाई के स्थान सही नाम मन्जुबाई के खाते में अंकन कर दिया जावेगा। प्रार्थीया/वादीया को वर्तमान मे सरकारी केडिट कार्ड बनवाने की सक्त आवश्यकता है। इस कारण वाद का निस्तारण समय बद्ध रूप में किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीया/वादीया का वाद स्वीकार कर वादीया के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 708 रकबा 0.02हे0 खेडा, खसरा नं0 709 रकबा 0.09 हे0, खसरा नं0 712 रकबा 0.16 हे0, खसरा नं0 713 रकबा 0.10 हे0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.37 हे0 वाके माल माथनी पटवार हल्का माथना तहसील व जिला बारां में प्रार्थीया/वादीया का 1/5 हिस्से पर सहवन से खाता सं0 नया 140 पुराना 966 में काश्तकार का नाम कम 3 पर खातेदार के नाम में नवलबाई पुत्री जगन्नाथ गलत दर्ज हो गया है। जिसके स्थान पर मन्जुबाई पुत्री जगन्नाथ अंकन किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। वादीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2071–74 खाता सं. 140, फोटोप्रति, प्रमाण पत्र फोटोप्रति आधार कार्ड मन्जूबाई, फोटोप्रति जनआधार कार्डमन्जूबाई,फोटोप्रति जॉब कार्ड मन्जूबाई,फोटोप्रति राशनकार्ड, बैंक पासबुकमन्जूबाई पेश की गई। साक्ष्यवादी के पी.डब्ल्यू.1 मन्जूबाई का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकिल वादीया द्वारा वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम माथनी तहसील बारां मे स्थित है, जिसमे प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा निहित है। वादीया का सहवन से खाते मे नवलबाई पुत्री जगन्नाथ गलत दर्ज हो गया है। जबकि मन्जूबाई पुत्री जगन्नाथ होना चाहिये था। वादीया का सही नाम मन्जूबाई है। वादीया के परिचय पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेजो मे भी नाम मन्जूबाई है। जो सही है। वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड मे नवलबाई के स्थान पर मन्जूबाई दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक वादीया सुनी गई। प्रत्रावलीं एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुतनकल जमाबन्दी ग्राम माथनी सम्वत् 2071–74 खाता सं. 140, मे वादीया का नाम नवलबाई दर्ज है। प्रस्तुत नकल, फोटोप्रति आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड व प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत खानपुर के अनुसार मन्जूबाई दर्ज है। पेनकार्ड मे मन्जूबाई दर्ज है। वादीया द्वारा मात्र जमाबन्दी की नकल पेश की है। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड पेश नही किया। जिससे वादीया का नाम क्या था और कैसे गलत किया गया। वादीया द्वारा दावा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का किया है। धारा 88,89,90 आर0टी0 एक्ट के तहत नाम दुरूस्त नही किया जाता है। खातेदारी अधिकार दिये जाते है। ऐसी स्थिति मे वादीया का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीया का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को लिखाया जाकर सर्रे न्यायालय सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 28/2021	अन्तर्गत 88, 89 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:– 30.12.2022
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री बालमुकन्द गुर्जर		अभिभाषक प्रतिवादी–श्री गजेन्द्र कुमार नागर

वाद शीर्षक

उनवान

मन्जूबाई पुत्री स्व0 जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी माथनी तहसील बारां हाल ग्राम छजावा तहसील बारां जिला बारां राज0

बनाम

1. कांतिबाई पुत्री जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
2. चौथमलपुत्र जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
3. प्रभूलालपुत्र जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
4. मांगीलालपुत्र जगन्नाथ जातिगण मेघवाल निवासीगण माथनी तहसील बारां जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज0) –प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:–

वादीया का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.12.2022 .को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Scanned with CamScanner